सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 109/2015

1. श्री आनन्दमोहन शर्मा वयस्क पुत्र स्व. पण्डित श्री बृजमोहनलाल शर्मा
   अब मृतक बजरिये उसके विधिक वारिसान :–

1/1 श्रीमती सुधा शर्मा पत्नि स्व. श्री आनन्द मोहन शर्मा

1/2 श्री दिनेश शर्मा पुत्र स्व. श्री आनन्द मोहन शर्मा

1/3 श्री अरूण शर्मा पुत्र स्व. श्री आनन्द मोहन शर्मा – अब मृतक बजरिये उसके विधिक वारिसान :–

1/3/1 श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नि स्व. श्री अरूण शर्मा

1/3/2 श्री मुदित शर्मा पुत्र स्व. श्री अरूण शर्मा

1/3/3 श्री हर्षित शर्मा पुत्र स्व. श्री अरूण शर्मा

नम्बर 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती रश्मि शर्मा पत्नि स्व. श्री अरूण शर्मा।

समस्त जाति ब्राह्मण निवासियान बृजमोहनलाल शर्मा नगर, गणेशपुरा, ब्यावर जिला–अजमेर (राज.)

2. श्री कृष्णगोपाल शर्मा वयस्क पुत्र स्व. श्री पण्डित बृजमोहनलाल शर्मा
3. श्री सन्तोषकुमार शर्मा वयस्क पुत्र स्व. पण्डित श्री बृजमोहनलाल शर्मा

समस्त जाति ब्राहमण निवासियान डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मदनमोहन शर्मा वयस्क पुत्र स्व. पण्डित श्री बृजमोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
2. श्री शैलेश पुत्र श्री सुरेशचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी डिग्गी मौहल्ला ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
3. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर (राज.)

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 28-01-2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा ग्राम नयानगर पटवार क्षेत्र नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) में वर्णित आराजियात खसरा संख्या 104, 105, 106, 107/2, 110, 111/2, 138/3, 140/3, 143/1, 146/4, 152/3, 154/1 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 01–09–10 तथा ख.नं. 103, 111/1, 115/2, 143/3, 146/5, 147/1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 01–19–10 तथा ख.नं. 107/1, 108, 109, 138/1, 139/1, 143/3, 146/3, 154/2 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 01–19–10 तथा ख.नं. 140/2, 147/2, 152/1 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 01–19–10 तथा ख.नं. 138/2, 139/2, 140/1, 146/2, 152/2, 154/3 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 01–19–10 जिसमें उपपद (क) में वर्णित आराजियात के खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 चले आ रहे हैं तथा उपपद (ख) में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 1 चला आ रहा है तथा उपपद (ग) में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 2 चला आ रहा है तथा उपपद (घ) में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार प्रार्थी नम्बर 3 चला आ रहा है तथा उपपद (ड) में वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार अप्रार्थिया नम्बर 2 चली आ रही है तथा राजस्व रेकार्ड में भी उपरोक्त आराजियात इसी अनुसार ही प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 के नाम अंकित चली आ रही है जो कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 से प्रमाणित है तथा उक्त आराजियात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 एक ही पिता स्व. पण्डित बृजमोहनलाल जी शर्मा के पुत्रगण एवं पुत्री है तथा सभी भूमियां

.................लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

एक दूसरे से लगती हुई विद्यमान चली आ रही है। इस कारण आये दिन पक्षकारान के मध्य उक्त भूमियों की हद को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीगण ने कई मर्तबा अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 से भूमियों का पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 ने आज दिवस तक भी भूमियों का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी नहीं करवाई है जिस कारण आये दिन पक्षकारान के मध्य विवाद होते आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 06.09.2015 को अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 से सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाने से इंकार हो गये। इस पर प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 3 से दिनांक 07.09.215 को सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी नम्बर 3 द्वारा इस हेतु सक्षम न्यायालय से कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए, इस कारण इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतएव प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद नम्बर 1 में वर्णित आराजियात का नाप चौप करवाया जाकर सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर अप्रार्थी नम्बर 3 को सही नाप चपौप करा सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किए कि उनके कार्यालय द्वारा प्रार्थीगणों व अप्रार्थीगणों को उनके द्वारा आवेदित सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्थरगढी संबंधी कार्यवाही इस न्यायालय क्षेत्र से संबंधित है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें वकील अप्रार्थी ने सारांशतः कथन किए हैं कि मौजूदा प्रार्थना पत्र में अंकित आराजियात राजस्व रेकार्ड के अनुसार निजी सम्पत्ति है तथा प्रार्थना पत्र के पद नम्बर 1 के उपपद (ख)(ग)(घ)(ड) में वर्णित आराजियात के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 2 में अभिवचनानुसार "काबिज काश्त चले आ रहे हैं", कत्तई गलत झूंठे तथ्य अभिकथित किये हैं। प्रार्थीगण ने उपरोक्त आराजियात में आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड विकसित कर श्री दुर्गा विहार के नाम से कॉलोनी विकसित कर दी है तथा मौके पर खरीददारान को भूखण्ड विक्रय कर उन्हें काबिज भी करा दिया है तथा कृषि आराजियत की मेडो को खुर्द बुर्द कर सड़के व चारदीवारी इत्यादि का भी निर्माण कर दिया है। स्वीकृत तौर पर प्रार्थीगण को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता कभी उत्पन्न नहीं हुई है। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी कराने हेतु दिनांक 07.09.2015 को निवेदित करना अभिकथित किया है, लेकिन इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र आदि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीगण सहित अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भी जानकारी में प्रारंभ से ही चली आ रही है कि जो पद नम्बर 1 (ख)(ग)(घ)(ड) में वर्णित आराजियात के लगते हुए स्थित चली आ रही है तथा मौके पर आज भी कृषि भूमियों के ही रूप में उपयोग उपभोग काश्त हो रही है, को सीमाज्ञान कराने हेतु अप्रार्थी नम्बर 3 के यहां सर्वप्रथम दिनांक 28.07.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं अप्रार्थी नम्बर 3 को नियमानुसार नियत शुल्क भी जमा कराया है। स्वीकृत तौर पर तहसीलदार ब्यावर ने उपखण्ड अधिकारी ब्यावर के आदेश दिनांक 07.08.2015 की अनुपालना में दिनांक 01.09.2015 को मौजूदा प्रार्थना पत्र के पद नम्बर 1 (क) तथा अप्रार्थी नम्बर 1 की आराजियात का सीमाज्ञान कराने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जालिया प्रथम, पटवारी बलाड़ एवं पटवारी नयानगर को दिनांक 04.09.2015 को उपस्थित रहकर सीमाज्ञान करने के लिये आदेशित किया है किन्तु प्रार्थीगण दिनांक 4.9.15 को जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए तथा पटवारी नयानगर के पास उपलब्ध नक्शा लंकलाट में सीमायें फटी होने तथा मोमिया शीट में भी विभाजित खसरा नम्बर तरमीम नहीं होने से दिनांक 4.9.15 को भी सीमाज्ञान नहीं किया जा सका। सीमाज्ञान नहीं होने के कारण राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध एक परिवाद माननीय लोकायुक्त महोदय सचिवालय, जयपुर में भी वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया है जो अभी भी विचाराधीन होकर लम्बित है तथा जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.03.2019 मुकर्रर

.................लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर

है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज ग्रीवीयंस आई नम्बर 09170782554693 दिनांक 22.09.2017 को दर्ज प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 15.11.2017 को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसमें उपखण्ड अधिकारी महोदय स्वयं द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका देखा गया है। मौके के अनुसार खातेदारान द्वारा पूर्व में बंटवारे के अनुसार ही मौके पर काबिज है एवं रास्ते को लेकर परिवादी असंतुष्ट है तथा मौके पर अन्य खातेदारान द्वारा आवासीय कॉलोनी काट दी गई है। परिवादी के द्वारा सैटलमेंट टीम के द्वारा ही नाप करवाना चाहता है लेकिन तहसीलदार ब्यावर द्वारा सैटलमेंट विभाग को उपलब्ध करवाये गये नक्शा जीर्ण जीर्ण होने का कारण बताकर सीमाज्ञान किया जाना असंभव बताया है। तहसीलदार ब्यावर के द्वारा अब तक परिवारी मदनमोहन शर्मा को उपलब्ध करवाये गये सभी नक्शे गलत एवं विरोधाभासी है। उक्त समस्त आधारों पर प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। अतः लिखित बहस स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्जे खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी नम्बर 1 को विशेष खर्चा दिलाया जावे।

उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस अनुसार ही रहे। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने मौखिक कथन किए कि पत्थरगढ़ी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का है।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् जिसमें ग्राम नयानगर के खसरा संख्या 115/1, 142, 143/2, 146/1 व 156 का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार ब्यावर द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को पत्र लिखा गया है जिसमें दिनांक 30.07.2014 की पालना में संबंधित पअवारी द्वारा दिनांक 28.08.2014 को मौके पर जरीब चलाकर उपस्थित पक्षकारों को सीमा की जानकारी कराई जा चुकी है। उक्त मौके पर प्रार्थी श्री मदनमोहन शर्मा के भी हस्ताक्षर है। वर्तमान में प्रश्नगत खसरा नम्बरान के आसपास का भौतिक स्वरूप परिवर्तन कर भूखण्ड बना कर सड़क आदि का निर्माण करना तथा आस पास की भूमियों की मेड़ो को भी खुर्द बुर्द किया जा चुका है एवं उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया जाना संभव नहीं होना अंकित किया है। ग्राम नयानगर पटवार हल्का नयानगर की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 483 में अंकित खसरा संख्या 138/2, 139/2, 140/1, 146/2, 152/2, 154/3 शैलेश पुत्र सुरेशचन्द शालिनी पुत्री सुरेशचंद सुरेशचन्द पुत्र सुखानन्द के नाम अंकित है तथा नामान्तरकरण संख्या 3391 निर्णय दिनांक 17.10.14 का नोट भी अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 40 में अंकित खसरा संख्या 104, 105, 106, 107/2, 110, 111/2, 138/3, 140/3, 143/1, 146/4, 152/3, 154/1 आनन्दमोहन कृष्णगोपाल सन्तोषकुमार मदनमोहन पि. बृजमोहनलाल व पुष्पादेवी पुत्री बृजमोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण सा. देह के नाम अंकित है जिसमें पुष्पादेवी की विरासत व नामान्तरकरण संख्या 3391 दिनांक 17.10.14 का नोर्ट अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 41 में अंकित खसरा संख्या 103, 111/1, 115/2, 143/3, 146/5, 147/1 आनन्दमोहन वल्द बृजमोहनलाल शर्मा कौम ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 3391 दिनांक 17.10.14 का नोट अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 133 में अंकित खसरा संख्या 107/1, 108, 109, 138/1, 139/1, 143/3, 146/3, 154/2 कृष्णगोपाल वल्द बृजमोहनलाल शर्मा कौम ब्राहमण सा. देह के नाम दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 3391 का नोट अंकित है। इसी प्रकार खाता संख्या 925 में अंकित खसर संख्या 140/2, 147/2, 152/1 सन्तोष कुमार वल्द बृजमोहनलाल शर्मा जाति ब्राहमण सा.देह के नाम दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 3391 का नोर्ट अंकित है। इस प्रकार उक्त समस्त वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की खातेदारी की भूमियां है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् जिसमें सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.7.14 व चालान की छाया प्रति है। खसरा संख्या 142, 143/2, 146/1, 156 का सीमाज्ञान बाबत् उपस्थित रहने हेतु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को दिया गया पत्र दिनांक 26.08.14 की छाया प्रति है। सीमाज्ञान का मौका पर्चा दिनांक 28.08.14 की छाया प्रति है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 श्री मदनमोहन शर्मा के हस्ताक्षर भी मौजूद है। श्री मदनमोहन द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांक 15.04.2015 वास्ते सीमाज्ञान कराने हेतु

..................लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

दिया गया जिसकी छाया प्रति है। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक नयानगर द्वारा दिनांक 01.05.15 को तहसीलदार ब्यावर को दी गई पालना रिपोर्ट है जिसमें अड़ौस पड़ौस की भूमि की मेडो को खुर्द बुर्द कर दिया जाना एवं सीमाज्ञान संभव नहीं होना अंकित है। तहसीलदार ब्यावर के पत्रांक 2755 दिनांक 24.06.15 की छाया प्रति है जो उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को संबोधित किया गया है जिसमें भी जरीब चलाकर सीमाज्ञान करवाया जाना संभव नहीं होना अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री मदनमोहन शर्मा द्वारा उपखण्ड अधिकारी ब्यावर को दिनांक 01.08.15 को दिया गया पत्र है जो सीमाज्ञान बाबत् है। तहसीलदार ब्यावर के आदेश क्रमांक 67 दिनांक 01.09.15 की छाया प्रति है जिसमें ग्राम नयानगर के खसरा संख्या 111/2, 138/3, 140/3, 143/1, 146/4, 152/3, 154/1, 104 लगायत 107, 110, 115/1, 142, 143/2, 146/1 व 156 के सीमाज्ञान हेतु टीम गठित किये जाने का आदेश है। मौका पर्चा दिनांक 04.09.2015 की छाया प्रति है जिसमें इन खसरा नम्बरान के अन्य पक्षकारान के उपस्थित नहीं रहने से सीमाज्ञान नहीं करवाया जाना अंकित है तथा दोनों पक्षों की सन्तुष्टी हेतु सेटलमेंट विभाग से ही सीमाज्ञान करवाया जाने के कथन अंकित है। इसमें अतिरिक्त श्री दुर्गा विहार के ले आउट की छाया प्रति तथा बेचाननामा व विक्रय अनुबन्ध की छाया प्रतियां प्रस्तुत की है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर यह तथ्य सामने है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों ही अपनी-अपनी भूमियों का नाप करवाना चाहते हैं क्योंकि अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस एवं मौखिक बहस में भी यह कथन किए हैं परन्तु उक्त नाप सेटलमेंट विभाग द्वारा सुस्पष्ट नक्शे के साथ करवाया जाने के भी कथन किए हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम नयानगर की बादग्रस्त आराजियात पर दोनों पक्षों में नाप चौप को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है एवं नाप चौप करवाया जाना इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। चूंकि राजस्व नक्शे की स्थिति कटी फटी होने से एवं मौके पर बादग्रस्त खसरान् की मेड़ो के निशानात् मौजूद नहीं होने से सेटलमेंट विभाग से ही नाप व पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित है। नायब तहसीलदार ब्यावर ने भी अपने जवाब में कथन किए हैं कि सीमाज्ञान की कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में नाप संबंधी प्रकरण माननीय लोकायुक्त महोदय सचिवालय जयपुर में भी विचाराधीन होने के कथन किए हैं एवं जिनके द्वारा भी सही सुस्पष्ट नक्शे से नाप चौप करवाये जाने के आदेश दिए हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम नयानगर पटवार क्षेत्र नयानगर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नयानगर तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) के खसरा संख्या 104, 105, 106, 107/2, 110, 111/2, 138/3, 140/3, 143/1, 146/4, 152/3, 154/1 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 01-09-10 तथा ख.नं. 103, 111/1, 115/2, 143/3, 146/5, 147/1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 01-19-10 तथा ख.नं. 107/1, 108, 109, 138/1, 139/1, 143/3, 146/3, 154/2 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 01-19-10 तथा ख.नं. 140/2, 147/2, 152/1 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 01-19-10 तथा ख.नं. 138/2, 139/2, 140/1, 146/2, 152/2, 154/3 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 01-19-10 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी सेटलमेंट टीम से करवाये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं तथा उक्त भूमियों के नाप का नियमानुसार जो भी शुल्क बनता है, वह प्रार्थीगण अदा करेंगे। उक्त संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अजमेर को पृथक से तहरीर जारी होकर सेटलमेंट टीम से सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् लिखा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर